ACM क्रमांक उ. 102

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय मुरलीलाल बनाम अनिल

केस संख्या 98/24 T2

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी जवाब पेश करें। पत्रावली दिनांक 8/9/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	8/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी संख्या - 7 ने जवाब पेश किया। अप्रार्थी 1, 5 ने जवाब पेश नहीं किया जवाब बंद किया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 16/9/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	16/09/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व. प्र. उप.। बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत, तर्कों, दस्तावेजो जवाब दावे के मध्यनजर अंतरिम आदेश दिनांक 10/12/2024 को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। विस्तृत प्रकृति के पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 98/2024 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 10.12.2024

1. मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र भोला
2. सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र भोला
   समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम दुर्गा का बास तहसील जालसू जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. अमित शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी कांकरेलिया की ढाणी भानपुरकलां जयपुर।

2 किशन लाल पुत्र रामेश्वर लाल (फौत)
2/1. अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री किशन लाल
2/2. रमेश अग्रवाल पुत्र किशन लाल
2/3. अनिता गोयल पुत्री किशन लाल पत्नी गौरीशंकर गोयल
2/4. सुनिता अग्रवाल पुत्री किशन लाल पत्नी सुरेश अग्रवाल
2/5. आशा पुत्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिती किशन लाल
2/6. लोकेश अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिता किशन लाल
2/7. योगेश अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिता किशन लाल
निवासियान 16–17 अशोक विहार वार्ड नम्बर 17, चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र भोला
4. नारायण पुत्र रामेश्वर लाल
5. सीता देवी अग्रवाल पुत्री भोला
समस्त समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम दुर्गा का बास तहसील जालसू जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– (1) श्री विजय कुमार शर्मा – वादी की ओर से
(2) श्री प्रभुसिंह राजावत – प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से

निर्णय दिनांक 16.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम दुर्गाकाबास पटवार क्षेत्र दुर्गा का बास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 2 के खसरा नम्बर 329 रकबा 0.7800 हेक्टेयर खसरा नम्बर 333 रकबा 0.3900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 439 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/8–1/8 निहित हैं, तथा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार शेष हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:22 IST
Reason: SelfAttested

अंकित चला आ रहा है। विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय–हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इन्च भाग पर सह–हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एंव विधिक रिकार्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते हैं। अप्रार्थीगण उक्त गैर कानूनी व विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीगण को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से बेदखल करने एव अप्रार्थीगण विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कर एंव विशिष्ठ भू–भाग पर प्लोटिंग करके विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इस संबंध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को दिनांक 05–12–2024 को वादअधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु साफ इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर वह प्लॉट काटकर निर्माण करके, विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेगें। इसलिये तुम वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से अपना कब्जा हटा लो अन्यथा बाहुबल के आधार पर तुमको बेदखल कर दिया जायेगा। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये अप्रार्थीगण को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर प्लोटिंग करने, विक्रय–हस्तान्तरण एंव खुर्द–बुर्द करने एव प्रार्थीगण को विशिष्ठ भू–भाग से बेदखल करने के कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि अप्रार्थीगण ने कानून को ताक में रख कर कानून को हाथ में लिया है। चूँकि अप्रार्थीगण गैर कानूनी तरीके से प्रार्थीगण को उसके खातेदारी व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है इसलिये प्रार्थीगण वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवा कर अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि को अपनी पृथक खातेदारी में दर्ज करवाने, राजस्व लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थीगण विधिक विभाजन की डिक्री बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 में उल्लेखित राजस्व ग्राम दुर्गाकाबास पटवार क्षेत्र दुर्गा का बास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बरान् का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में प्रार्थीगण के निहित हिस्सा को प्रार्थीगण की पृथक खातेदारी [illegible] किया जाकर प्रार्थीगण के हिस्से का राजस्व लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक किया [illegible] प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे[illegible] स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि, प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 में उल्लेखित राजस्व ग्राम दुर्गाकाबास पटवार क्षेत्र दुर्गा का बास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:22 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या नया 2 के खसरा नम्बर 329 रकबा 0.7800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 333 रकबा 0. 3900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 439 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1. 6900 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक करवाये बिना, उक्त खसरान् की भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से बैचान–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एव ऐसे किसी भी लेख्य पत्र का पंजीयन करने से निषेद्ध रहे तथा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने, विशिष्ठ भू–भाग पर प्लॉट काटकर कच्चा पक्का निर्माण करने, हरे पेड़ काटने से निषेद्ध रहें तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनायीं रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2/1 ता 2/7 व 4 की तलवी अखबार से होने के पश्चात भी बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया अतः दिनांक 08.09.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। वाद बंटवारे का है तथा अप्रार्थीगण यदि उक्त आराजी का बेचान, निर्माण एवं खुद बुर्द करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के संरक्षण हेतू मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। जहां तीनो बिंदुओ में से एक भी बिंदु साबित होता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के ह... से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु ... दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.12.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर